

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33/पैरा.मेडि /2024/436

दिनांक:- 12/03/24

-: आदेश :-

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के स्तर से जारी निम्न आदेश में सहवन से रही त्रुटियां/अशुद्धियों में निम्नानुसार संशोधन कर पुनः आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पद (श्री/सुश्री/श्रीमती)	निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/दिनांक	वांछित शुद्धिकरण
1.	श्रीकृष्ण बैरवा, रेडियोग्राफर	328 दिनांक 07.12.2023	कार्मिक का नाम कृष्ण बैरवा के स्थान पर श्रीकृष्ण बैरवा पढा जावें।

शेष यथावत्।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ पैरा.मेडि /2024/436

दिनांक:- 12/03/24

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर ।
- 2.जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
- 3.श्रीकृष्ण बैरवा, रेडियोग्राफर के द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4.प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
- 5.आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6068862

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2024 01:48:14